

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर

कमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/वलि/09/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश कमांक ई-18/एम/डीपीसी/कास/09/1094 दिनांक 2.6.09 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम कर्मचारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	श्री राधाकिशन गुर्जर	जिला कुष्ठ रोग अधिकारी जयपुर	मुख्य चिकि० एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय
2	श्री विरेन्द्र कुमार लखारा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोटडा, उदयपुर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी उदयपुर
3	श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी	महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर
4	श्री मुनीर अली सैयद	अधीक्षक, पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर	अधीक्षक पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर
5	श्री मोहम्मद अकरम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी उदयपुर
6	श्री अनिल नायर	संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर	संयुक्त निदेशक जोन उदयपुर
7	श्री लाखन सिंह	राजकीय सामु० स्वा० केन्द्र आहोर, जिला जालौर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालौर
8	श्री मोहनलाल कुम्हार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोगुन्दा जिला उदयपुर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी उदयपुर
9	श्री राजकुमार शर्मा	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	राजपत्रित अनुभाग चिकि० एवं स्वा० निदेशालय, जयपुर
10	श्रीमती हरी खटवानी	कमला नेहरू क्षय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर	मुख्य चिकि० एवं स्वा० अधिकारी भीलवाडा
11	श्री शिवदयाल गुप्ता	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर
12	श्री कालीचरण कोली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ
13	श्री उत्तमचन्द गौड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र देसूरी जिला पाली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
14	श्री रूघचन्द मीणा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांखू जिला चूरू	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ

15	श्री नारायणलाल मीणा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सादडी, जिला पाली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
16	श्री रामशरण मीणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोटपुतली, जयपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम
17	श्री गंगाराम मीणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतागढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतागढ
18	श्री अशोककुमार मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतागढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतागढ
19	श्री कीकाराम मीणा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली
20	श्री कैलाशचन्द मीणा	निदेशालय चिकि० एवं स्वा० सेवाएं, जयपुर	राजपत्रित अनुभाग चिकि० एवं स्वा० निदेशालय, जयपुर

उपरोक्त कर्मचारी अपने पदोन्नति स्थान पर दिनांक 18.6.09 तक कार्यग्रहण कर लें अन्यथा उक्त पदोन्नति आदेश निरस्त समझे जायेंगे ।

नोट:- जो कर्मचारी पदोन्नति पर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करता है तो उन्हें दिया गया चयनित वेतनमान राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17.2.98 में उल्लेखित प्रावधानानुसार तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित कर लिया जाये तथा कर्मचारी को भी अवगत कराये । सूचना के अभाव में यदि कोई कर्मचारी वर्तमान में किसी कारण वश राज्य सेवा में नहीं हो, निलम्बित हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली हो या मृत्यु हो गई हो तो उनका नाम विलोपित समझा जाये ।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ07(1)/डीओपी/ए-11 /95 दिनांक 20.6.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति अगले पांच वर्ष के लिए रूक जायेगी एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाये इस आशय का संबंधित कर्मचारी से संबंधित अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र प्राप्त कर ही कार्यग्रहण कराये ।

अति०निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज० जयपुर
दिनांक:- 21/6/09

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/व०लि०/09/1096
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज०
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति० निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज० जयपुर